



2026:AHC:57778

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9551 वर्ष 2026**

प्रमोद कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

---

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : संजीव कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता(जी.ए.)

---

**न्यायालय सं. - 67**

**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. श्री संजीव कुमार मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) को सुना गया।
2. यह तत्काल जमानत आवेदन आवेदक की ओर से अपराध संख्या 253 वर्ष 2025, बीएनएस की धाराओं 85 और 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना सिधपुरा, जिला कासगंज में विचारण की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, किंतु झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतका को संदेह था कि आवेदक ने उसकी माँ के साथ अवैध संबंध स्थापित किए थे और केवल इसी कारण उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या की। दिनांक 16.3.2026 के पूरक शपथपत्र के साथ संलग्न जांच के दौरान दर्ज ग्रामीणों के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि आवेदक और मृतका की माँ के बीच अवैध संबंध थे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह सुझाती है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने से हुई।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस मामले को छोड़कर आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह दिनांक 26.10.2025 से, अर्थात् पिछले चार महीने से अधिक समय से जेल में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
8. यद्यपि, आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के डेढ़ वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में वैवाहिक घर में हुई है और दहेज की माँग से संबंधित यातना का भी आरोप है, किंतु मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह सुझाती है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने से हुई है और,इसलिए, इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
9. इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान दर्ज ग्रामीणों के बयानों पर विचार करते हुए, तत्काल जमानत आवेदन में आवेदक द्वारा प्रकट आत्महत्या का कारण भी इस स्तर पर पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



10. इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी यह प्रकट होता है कि प्रथम सूचनादाता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज की किसी माँग का उल्लेख भी नहीं किया और ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अपने बयान में उन्होंने दहेज की माँग से संबंधित यातना का आरोप लगाना शुरू किया।

11. इसके अलावा, इस मामले को छोड़कर आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में दिनांक 26.10.2025 से, अर्थात् पिछले चार महीने से अधिक समय से जेल में है।

12. इसके अलावा, विधि यह स्थापित है कि जब तक दोषी सिद्ध न हो, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

13. इसलिए, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

15. आवेदक-प्रमोद कुमार को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



16. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

मार्च 20, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।